



श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, कम्प इन्दौर

A-4032/II/13

निगरानी प्रकरण क्रमांक :

दिनांक : 29/10/2013

प्रकाश नांदेडकर
कार्यालय पता 5-ए, प्रेस कॉम्प्लेक्स
ए.बी. रोड इन्दौर (म.प्र.)

..... प्रार्थी

विरुद्ध

1. सुरेश सेठ पिता किशनलाल सेठ
चेयरमैन, इन्दौर समाचार पत्र
निवासी : 17, न्यू देवास रोड इन्दौर (म.प्र.)

2. म. प्र. शासन जिला कलेक्टर
इन्दौर

..... प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अर्ज अन्तर्गत धारा 56 भारतीय द्वाप्य अधिनियम 1899

प्रार्थी तर्फ सादर निवेदन है कि :-

यह कि, प्रार्थी का श्रीमान् न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प जिला इन्दौर द्वारा निगरानी में लिया गया प्रकरण क्रमांक 67/बी-103/12-13/33 में पारित आदेश दिनांक 25/09/2013 के विरुद्ध की जा रही है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अभिभाषक को न सुनते हुए प्रतिप्रार्थी क्र. 1 के पक्ष में निर्णय दिया गया है।

18-6-2014

अपीलार्ड की ओर से सूचना
उपरोक्त कोर्ड भी उपस्थित नहीं।
तीन चार फुकर लगवाई गई, फिर
भी कोर्ड उपस्थित नहीं। अतः प्रमाण
अवम पैरवी में निरस्त किया
जाता है।

h
अध्यक्ष


N.F. 18/6/14